स्टाम्प संलग्न है

# उपाबंध–X

(अध्याय 5, पैरा 5.13)
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग
**नई दिल्ली, 1 अगस्त 2012**

का.आ. 1732 (अ) –केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और सशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2012 है.
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे.

2. निर्वाचनों का संचलान नियम, 1961 के प्रारूप 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप और प्रविष्टियां रखी जाऐंगी, अर्थात :–

NOTARIAL NOTARIAL

**"प्रारूप 26"**
(नियम 4क देखिए)



पवन कुमार

27- कोलारस ....................................................... निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

मध्य-प्रदेश विधान सभा ..........................(सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिर्टनिंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग क

मैं. पवन कुमार **पुत्र/पुत्री/पत्नी अभय सिंह आयु 32 वर्ष, जो खतौरा तह. स्वतंत्र (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं :–

(1) मैं ............X............(*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खडा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

पवन कुमार

मेरे समक्ष श्री पवन कुमार पुत्र श्री रामयसिंह रजौरा निवासी
दिनांक 6.2.18 को स्थान कोलारस पर बजे
शपथ की [illegible] मैं [illegible] जानता हूँ या श्री
.......................... [illegible] जिसके समक्ष
मैं शपथकर्ता एवं पहि[illegible] ने अपने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ
चिन्ह किया है

हस्ताक्षर शपथकर्ता                    हस्ताक्षर पहिचानकर्ता

पवन कुमार

मैं कैलाशचन्द्र गुप्ता एडवोकेट नोटरी प्रमाणित करता हूँ [illegible] शपथकर्ता को [illegible] नोटरी 19[illegible] क्र. 53 सन् 1952 के [illegible] शपथकर्ता ने शपथपत्र की [illegible] सत्य [illegible] किया है अथवा उसे पढ़कर सुनाया व [illegible] देखा गया है व ऐसा विदित होता है कि उसने शपथपत्र की विषयवस्तु को [illegible] लिया है शपथकर्ता ने मेरे [illegible] अपने हस्ताक्षर/[illegible] किये हैं। इसकी प्रमाणिता स्वरूप मैंने अपने [illegible] किये हैं। [illegible] दिनांक 6.2.18 को [illegible] पर [illegible] बजे अंकित किया है जिसका विवरण कोलारस पर ........ बजे अंकित [illegible] नोटेरियल रजिस्टर क्रमांक 382 पर अंकित किया है

नोटरी
कैलाशचन्द्र गुप्ता
एडवोकेट
कोलारस (शिवपुरी)

नोटरी कैलाशचन्द्र गुप्ता कोलारस भारत सरकार

(2) मेरा नाम 27-कोलारस – मध्यप्रदेश ............(निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या ....233.... के क्रम सं. ....832....पर प्रविष्टि है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नंबर 9907824155............है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ............शून्य............है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

| क्रम सख्या | नाम | पैन | वित्तीय वर्ष जिसके लिये अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है | आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वयं | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2 | पति या पत्नी | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3 | आश्रित–1 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4 | आश्रित–2 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 5 | आश्रित –3 | शून्य | शून्य | शून्य |

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किऐ गऐ हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :–

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।

| | | |
|---|---|---|
| (क) | मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे | शून्य |
| (ख) | संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये आरोपित किया गया है। | शून्य |
| (ग) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख। | शून्य |
| (घ) | न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई। | शून्य |
| (ङ.) | तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गऐ थे | शून्य |
| (च) | क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं। | शून्य |

पवन कुमार